THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED) : (a) and (b) There is no proposal at present under consideration of the Government for merger of any nationalised bank.

LOSSES INCURRED BY PUNJAB NATIONAL BANK

2579. SHRI VIRENDRA KATARIA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Punjab National Bank is incurring heavy losses every month since the merger of New Bank of India with it; and

(b) if so, what are the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED) : (a) and (b) Punjab National Bank have reported that the impact of merger of erstwhile New Bank of India will be known only after the accounts for the year ending 31st March, 1994 are finalised by the bank.

CHELLIAH COMMITTEE RECOMMENDATIONS

2580. SYED SIBTEY RAZI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether some sections of Trade and Industry have requested Government to lower the corporate tax rate to 40 per cent in terms of recommendations made by the Chelliah Committee;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government propose to take some action on these requests; and

(d) if so, details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANIMIASHEKHAR MURTHY) : (a) and (b) Yes, Sir. A number of Associations of trade and industry in their pre-budget memoranda to the Government have suggested that the corporate tax rate may be scaled down to 40 per cent.

(c) and (d) The Government's decision thereon would be reflected in the Finance Bill, 1994.

विदेश निवेश नीति

2581. श्री अमलराय केशवांकर दवे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय बाजार को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए अपनी विदेशी निवेश नीति को और उदार बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनुमोदित विदेशी निवेश प्रस्तावों के लिए विदेशी मुद्रा का तत्काल वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) हालांकि सरकार ने अभी हाल ही में विदेशी निवेश हेतु नीति को और उदार बनाने का निर्णय नहीं किया है, तथापि यह स्वीकार करना चाहिए कि ऐसा उदारीकरण एक निरन्तर और चलते रहने वाली प्रक्रिया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) दिए गए अनुमोदनों के प्रति विदेशी निवेश का वास्तविक अन्त: प्रवाह परियोजना आरंभ करने से पहले की अवधि और विदेशी निवेशक के निर्णय पर, कि वह कार्यान्वयन कब आरम्भ करे, निर्भर करता है ।

अल्पसंख्यकों के आर्थिक उत्थान के लिए नई योजनाएं

2582. मौलाना अबेदुल्ला खान आजमी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार अल्पसंख्यकों के आर्थिक उत्थान के लिए कुछ नई योजनाएं आरंभ करने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि इन योजनाओं का पूरा लाभ अल्पसंख्यक तक पहुंचे ?

□वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग) : आठवीं योजना के लिए 10 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ 1992-93 के दौरान आय के मानदंड के आधार पर अल्पसंख्यकों और सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों सहित कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण की एक स्कीम मंजूर की गई थी, ताकि वे विभिन्न प्रतियोगिता/प्रवेश परीक्षाओं में समानता के आधार पर भाग ले सकें । यह स्कीम राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है ।

दो अन्य स्कीमें यथा, "आधुनिक मदरसा शिक्षा के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता" और "शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र सघन कार्यक्रम" भी चला रहे हैं । पहली के अन्तर्गत मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता की स्कीम बनाई गई है, ताकि विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, आधुनिक भारतीय भाषाओं, हिन्दी और अंग्रेजी का अध्ययन आरंभ करने के लिए मदरसा और मकतब जैसी परम्परागत संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जा सके । इस स्कीम के लिए आठवीं योजना में एक करोड़ रुपए का परिव्यय परिकल्पित किया गया है । शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र सघन कार्यक्रम की स्कीम राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठनों को शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों, जिन्हें इस समय चल रहे कार्यक्रमों में शामिल नहीं किया है, के लिए सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है । इस स्कीम के लिए आठवीं योजना में 16.27 करोड़ रुपए का परिव्यय परिकल्पित किया गया है इसके अलावा, कार्रवाई के कार्यक्रम द्वारा चिह्नित सभी 41 अल्पसंख्यक सघन जिलों में 15 सूत्री कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक पोलिटेक्निक बनाए गए हैं ।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी के साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम की स्थापना करने की घोषणा की थी ।

(घ) स्कीमों के कारगर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से संबंधित विभागों द्वारा इनका अनुरीक्षण किया जा रहा है । राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और सलाहकार समितियों को परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण की स्कीम की देख-रेख, अनुरीक्षण और मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है । प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए निर्धारित समय अनुसूची का कठोर अनुपालन यह सुनिश्चित करने के लिए आरंभ किया गया है ताकि स्कीमों के लाभ इन लाभ-ग्राहियों को मिल सकें ।

आयकर विभाग में विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति

2583. श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1990 में राजकोट में आयकर आयुक्त द्वारा विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था,

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसमें से कुछ विकलांग उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के अनुसार 30 नवम्बर, 1990 तक नियुक्त कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इन उम्मीदवारों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आयकर उपयुक्त द्वारा एक प्रतीक्षा-सूची तैयार की गयी थी और प्रतीक्षासूची में शामिल उम्मीदवारों के नाम क्या-क्या हैं, और

(च) प्रतीक्षा-सूची के उम्मीदवारों की कब तक नियुक्ति किए जाने की संभावना है और इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं ।

□वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां

(ख) आयकर आयुक्त, राजकोट ने, रोजगार कार्यालय से प्राप्त नामों में से चपरासियों के पद